

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठारसीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 66/2021

हनीफ पुत्र चन्दरू जाति मेव निवासी ग्राम कुलियाना तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर) राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :- श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थी

दिनांक :- 20/05/2022

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1010/0.09, 1011/0.08, 1016/0.11, 1101/0.13, 1104/0.23 हैक्टर बांके ग्राम घघवाडी तहसील पहाडी में स्थित है। जो कि हिस्सा 1/2 मेरी खातेदारी व हिस्सा 1/2 मेरे भाई भोवल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी को काफी अरसे से पूर्व बय किया था। उस वक्त में नाबालिग था तो मेरे भाई ने मेरा नाम आसीन दर्ज करा दिया जबकि मेरा सही नाम हनीफ है मेरी अन्य आराजी जो कि कुलियाना में है उसमें हनीफ का नाम दर्ज है। मेरे राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक में मेरा नाम हनीफ दर्ज है एवं समस्त कागजात व मेरी ग्राम कुलियाना की आराजी में हनीफ दर्ज है। लेकिन भूल वश ग्राम घघवाडी की आराजी में मेरा नाम आसीन दर्ज होता हुआ चला आ रहा है जिसे संशोधित किया जाकर मेरा नाम आसीन की जगह हनीफ किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 09/05/2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी ग्राम घघवाडी में स्थित है प्रार्थी का नाम राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, व बैंक पासबुक में हनीफ दर्ज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आमीन दर्ज है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम दुरुस्त किया जाना न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी,
पहाडी (भरतपुर)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खसरा नम्बर 1010/0.09, 1011/0.08, 1016/0.11, 1101/0.13, 1104/0.23 हैक्टर बांके ग्राम घघवाडी तहसील पहाडी में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम आसीन पुत्र चन्दर दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं निर्वाचन पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम हनीफ दर्ज है। जिसके कारण प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में प्रार्थी का नाम आसीन की जगह हनीफ दर्ज किया जाना न्याय संगत बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आसीन की जगह हनीफ दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

